वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत

संख्याः-423 /XVII(1)-3/2009-09(15)/09

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग-3 देहरादून दिनांक 28 अक्टूबर, 2009

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सैनिक विश्राम गृह की साज-सज्जा हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक संख्याः- 4003/सै0क0/सै0वि0गृ0/साज-सज्जा दिनांक 25 जुलाई, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि **रुपये 09.00 लाख (रुपये नौ लाख मात्र)** की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में राज्य स्तरीय सैनिक विश्राम गृह, देहरादून की साज-सज्जा हेतु वित्त विभग के दिनांक 28 जुलाई, 2009 के शासनादेश एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्याः 515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008 वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
3. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। अवशेष धनराशि राजकोष में जमा कर दी जाएगी।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना की स्वीकृति नार्म है, स्वीकृति नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये। विभिन्न साज-सज्जा के कार्यों/मदों में मितव्ययिता रखते हुये अनावश्यक व्यय न किया जाये।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
6. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।
7. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, 200-अन्य कार्यक्रम-03-सैनिक कल्याण, 0301-सैनिक मुख्यालय के मानक मद **26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र** के नामे डाला जायेगा।
8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः-448(P)/XVIII-3/2009, दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः-433 (1)/XVII(1)-3/2009-09(15)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)